उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
ई0पत्रा0 सं0–31907
संख्या– 296272/2025/XXVII(9)/स्टाम्प–07/2020
देहरादूनः दिनांकः 09 ~~अप्रैल~~ मई, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 02 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्प्रर्वतक (Promoter) एवं आवंटियों (Allottee) के संघ (Resident Welfare Association) के मध्य पंजीकृत विलेखों के माध्यम से सम्पत्ति अंतरित किये जाने पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 23–क के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को प्रति विलेख अधिकतम रू0 10,000/– किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 08-05-2025
12:08:16
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

सं0 296272(1) 2025/XXVII(9)/स्टाम्प–07/2020 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 वित्त मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
7. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित करते हुए उसकी 200 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Krishna Kumar Shukla
Date: 09-05-2025
13:25:33
(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 2025/XXVII(9)/ Stamp/07/2020/E-31907 dated, April, 2025 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-9

No. 296272 I /2025/XXVII(9)/Stamp/07/2020/E-31907

Dehradun: dated: 09 ~~April~~ May, 2025

<u>Notification</u>

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 02 of 1899), the Governor is pleased to give his approval for reduction of the stamp duty chargeable under article 23-A of Schedule 1 of the Indian Stamp Act, 1899 on transfer of property by registered deeds between the promoter and the Association of Allottees (Resident Welfare Association) to a maximum of Rs. 10,000/- per deed.

2- This notification shall come into force at once.

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 08-05-2025
12:09:42

(Dilip Jawalkar)
Secretary.